उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्याः 256–पारे0अनु0–04 / पाट्राकालि–2023–18 / 14 टी0सी0– I   दिनांकः 19 अप्रैल, 2023

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या–1868 / 79–वि–1–18–1(क)15–18, दिनांक 01 सितम्बर, 2018 जिसे उ०प्र० शासन के कार्मिक अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–4 / 2018 / 18 / 1 / 2008–का–2 / 2018 दिनांक : 25 सितम्बर, 2018 द्वारा निर्गत किया गया है जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार के सरकारी सेवाओं में दिव्यांगजन को नियुक्ति में 03 (तीन) प्रतिशत के स्थान पर 04 (चार) प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है। उक्त के अनुकम में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–870–पें0एवंआर0–28 / पाकालि / 20–10(2)पें०एवंआर0 / 01(टीसी–1), दिनांकः 24.08.2020 द्वारा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की सेवाओं में दिव्यांगजन को नियुक्ति में 03 (तीन) प्रतिशत के स्थान पर 04 (चार) प्रतिशत आरक्षण प्रदान किये जाने सम्बन्धी आदेश निर्गत किये गये हैं।

2. उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के निदेशक मण्डल की दिनांक 28.03.2023 को सम्पन्न 90वीं बैठक में प्रस्तुत बिन्दु संख्या–90(23) के सम्बन्ध में लिए गये निर्णय के अनुपालन में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–870–पें0एवंआर0–28 / पाकालि / 20–10(2)पें०एवंआर0 / 01 (टीसी–1), दिनांकः 24.08.2020 को उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 में एतद्द्वारा अंगीकृत करते हुए आदेशित किया जाता है कि उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 की सेवाओं में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर प्रत्येक समूह के पदों में संवर्ग सदस्य संख्या में कुल रिक्तियों की संख्या का दिव्यांगजनों को 03 प्रतिशत के स्थान पर 04 प्रतिशत जिसमें से एक–एक प्रतिशत, खण्ड (क), खण्ड (ख) और खण्ड (ग) के अधीन सन्दर्भित निःशक्त व्यक्तियों के लिए और एक प्रतिशत खण्ड (घ) और खण्ड (ङ) के अधीन सन्दर्भित निःशक्त व्यक्तियों के लिए क्षैतिज आरक्षण उसी प्रकार लागू किया जायेगा जैसा कि राज्याधीन सेवाओं में लागू होगा :–

(क) दृष्टिहीनता और कम दृष्टि;
(ख) बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास;
(ग) प्रमस्तिष्कीय अंग घात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता;
(घ) स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तता, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता;
(ङ) खण्ड (क) से (घ) के अधीन आने वाले व्यक्तियों में बहुनिःशक्तता, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक निःशक्तता के लिए अभिज्ञानित पदों में बधिर–अंधता सम्मिलित है, "

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किये जा रहे हैं, इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

संख्या– 256(i)–पारे0अनु0–04 / उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0 / 2023   तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1- अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3- निदेशक (का0प्रब0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन (मु0), लखनऊ के निजी सचिव।
4- समस्त निदेशकगण, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।

(क्रमशः..........2)

5- मुख्य अभियन्ता (हाईडिल), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एसएलडीसी परिसर, निकट मंत्री आवास, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
7- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–1 एवं स्तर–2), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।
8- संयुक्त सचिव (पारेषण–प्रथम), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9- समस्त महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि0।
11- उप सचिव (पारेषण–प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
12- समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि0।
13- सचिव, उ0प्र0 राज्य ऊर्जा कर्मिक न्यास, शक्ति भवन, लखनऊ।
14- कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
15- अधिशासी अभियन्ता सम्बद्ध निदेशक (ऑपरेशन), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह इस आदेश को कारपोरेशन की वेबसाइट www.upptcl.org पर शीर्ष प्राथमिकता पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

Satyarth

(सत्यार्थ गंगवार)
उप सचिव (पारेषण–तृतीय)